

पंजीकृत

संख्या- 44 /2017/44आर0सी0आई0/65-1-17-56/2017

प्रेषक,

पन्ना लाल,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
भारतीय पुनर्वास परिषद,  
नई दिल्ली-110016

विकलांग जन विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषय:- स्वैच्छिक संस्था विकलांग समाकलन संस्थान करौदी निकट बी0एच0यू0 सुसुवाही जनपद वाराणसी को विशेष शिक्षा (वी0आई0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक संस्था विकलांग समाकलन संस्थान करौदी निकट बी0एच0यू0 सुसुवाही जनपद वाराणसी को विशेष शिक्षा (वी0आई0) पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित प्रस्ताव को एतद्वारा मूलरूप में संलग्न कर राज्य सरकार की अनापत्ति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

संख्या- 44 आर0सी0आई0 (1)/65-1-17.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-सी-170/वि0क0/स्वै0सं0/एन0ओ0सी0/2016-17, दिनांक 13-04-2017 के संदर्भ में।
- 2- जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, वाराणसी ।
- 3- प्रबन्धक/सचिव, स्वैच्छिक संस्था विकलांग समाकलन संस्थान करौदी निकट बी0एच0यू0 सुसुवाही जनपद वाराणसी।

आज्ञा से,

( पन्ना लाल )

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।